

दिनांक-08-12-2022

पुनःश्रवण

पत्रावली पुनः पेश हुई। वाद पुकारा गया। परिवादी मय विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ एम0 काला न्यायालय में उपस्थित हैं। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी आदेश पर सुना गया।

2. यह परिवाद **परिवादी रविन्द्र सिंह** की ओर से **विपक्षीगण मैसर्स यात्रा टेक्सी सर्विस लि0** द्वारा **डायरेक्टर अशोक कुमार टम्टा व अशोक कुमार टम्टा** के विरुद्ध पराक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत लाया गया है। परिवाद में परिवादी के कथन इस प्रकार हैं कि विपक्षीगण ने अपनी देनदारी की एवज में परिवादी को **इण्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा भानियावाला, डोईवाला का एक चैक सं0 432741 मु0 5,50,000/-रुपये दिनांकित 03.09.2022** का दिया। विपक्षीगण के उक्त चैक को परिवादी ने भुगतान हेतु अपने **बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, शाखा भानियावाला, देहरादून** में प्रस्तुत किया, तो विपक्षीगण के उक्त चैक को बैंक ने **दिनांक 05.09.2022 को (Funds Insufficient)** की टिप्पणी के साथ रिटर्न मैमों के सहित वापस कर दिया। परिवादी को उपरोक्त चैक का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। अनादरण की सूचना व धन अदा करने के लिए परिवादी ने विपक्षीगण को उसके वास्तविक पते पर रजिस्टर्ड डाक से **कानूनी नोटिस दिनांक 22.09.2022** को प्रेषित किया, जो विपक्षीगण को तामील हो गया, किन्तु तामीली के उपरान्त निर्धारित अवधि व्यतीत होने के बाद भी विपक्षीगण ने कोई धनराशि परिवादी को अदा नहीं की है। इस प्रकार विपक्षीगण ने पराक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 का अपराध किया है। अतः विपक्षीगण को न्यायालय तलब कर दण्डित किया जाये।

3. परिवादपत्र के समर्थन में परिवादी ने निम्नलिखित दस्तावेज दाखिल किये :-

क्रम सं0	दस्तावेज का विवरण	कागज
1	एक किता मूल चैक सं0 432741 इण्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा भानियावाला, डोईवाला दिनांकित 03.09.2022	01
2	रिटर्न मैमो दिनांकित 05.09.2022	01
3	कानूनी नोटिस दिनांकित 22.09.2022	02
4	मूल रजिस्टर्ड डाक की रसीदें दिनांकित 22.09.2022	01
5	नोटिस नेट तामीली ट्रेक रिपोर्ट दिनांकित 28.09.2022	04
6	Regarding Proof of delivery of Article No. RV850097088IN	02

4. परिवाद के समर्थन में परिवादी ने साक्ष्य शपथपत्र धारा 145 एन.आई.एक्ट का धारा 200 द0प्र0सं0 में भी दाखिल किया है।

5. तलबी के बिन्दु पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ एम0 काला को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से, परिवादी ने परिवाद के समर्थन में अनादरित मूल चैक, बैंक मैमों, कानूनी नोटिस, मूल रजिस्टर्ड डाक रसीदें, नोटिस नेट तामीली ट्रैक रिपोर्ट इत्यादि दाखिल किये गये हैं। उक्त दस्तावेजों का विस्तृत विवरण प्रस्तर 3 सारणी में है। परिवादी ने शपथपत्र साक्ष्य अन्तर्गत धारा 200 द0प्र0सं0 से भी परिवादपत्र के कथनों का समर्थन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक कथन व दस्तावेज परिवादपत्र का पूर्णतः समर्थन करते हैं। इस प्रकार परिवादी की ओर से धारा 138 एन0आई0एक्ट की विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। अतः हस्तगत वाद में विपक्षीगण को पराक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही हेतु समन द्वारा तलब किये जाने के पर्याप्त विधिक आधार हैं। फलस्वरूप निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

न्यायालय यह आदेश देती है कि परिवाद में **विपक्षीगण मैसर्स यात्रा टेक्सी सर्विस लि0 द्वारा डायरेक्टर अशोक कुमार टम्टा व अशोक कुमार टम्टा** को एन.आई.एक्ट की धारा 138 में अग्रेतर कार्यवाही हेतु बतौर अभियुक्तगण तलब किया जाये। अभियुक्तगण की न्यायालय में उपस्थिति हेतु दिनांक 28.02.2023 के लिये समन जारी हो। परिवादी सात दिन के भीतर धारा 204 द0प्र0सं0 के उपबन्धों का पूर्णतः अनुपालन करने और पैरवी लेने के साथ-साथ धारा 144 परक्राम्य लिखत अधिनियम के उपबन्धानुसार भी रजिस्टर्ड डाक से अभियुक्तगण के विरुद्ध समन की पैरवी लेना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित कार्यालय लिपिक, बाद आवश्यक कार्यवाही/परिवादी द्वारा नियमानुसार पैरवी किये जाने के उपरान्त समन जारी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली दिनांक 28.02.2023 को वास्ते उपस्थिति/अग्रेतर आदेश पेश हो।

(मीनाक्षी दुबे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
डोईवाला।